



# पारिवारिक हिंसा और पार्टनर वीज़ा

पार्टनर वीज़ा धारकों को ऑस्ट्रेलिया में रहना जारी रखने के लिए किसी अपमानजनक रिश्ते में बने रहने की ज़रूरत नहीं है।

ऑस्ट्रेलिया में, घरेलू और पारिवारिक हिंसा को स्वीकार नहीं किया जाता है।

कोई पार्टनर, परिवार के सदस्य और समुदाय के अन्य लोग आपके वीज़ा स्टेटस (वीज़ा स्थिति) को लेकर आपको धमकी नहीं दे सकते हैं।

यदि आप एक अस्थायी पार्टनर वीज़ा (सबक्लास 300, 309 या 820) धारक हैं और आप पारिवारिक हिंसा का सामना करते/करती हैं और आपका रिश्ता खत्म हो जाता है, तो ऑस्ट्रेलियाई आप्रवास प्रणाली में ऐसे प्रावधान हैं जिनसे आप अपने परमानेंट पार्टनर वीज़ा (सबक्लास 100 या 801) आवेदन को जारी रख सकते/सकती हैं।

यदि आपको या आपके किसी जानकार को खतरा है तो पुलिस को **000** पर फोन करें।  
ऑस्ट्रेलिया की पुलिस सुरक्षित है और इनपर भरोसा किया जा सकता है।

निःशुल्क व गोपनीय परामर्श और मदद के लिए 1800 RESPECT को **1800 737 732** पर फोन करें।

यदि आपको एक निःशुल्क दुभाषिए की ज़रूरत है तो **131 450** पर फोन करें।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार (Australian Government) किसी भी परिस्थिति में घरेलू व पारिवारिक हिंसा बर्दाश्त नहीं करती है।

घरेलू और पारिवारिक हिंसा कानूनन अपराध हैं। घरेलू और पारिवारिक हिंसा करने वाले व्यक्ति को जेल हो सकती है, चाहे वह व्यक्ति पुरुष हो या महिला हो।

घरेलू एवं पारिवारिक हिंसा वह व्यवहार या धमकियाँ हैं जिनका उद्देश्य सुरक्षा या कल्याण के लिए भय पैदा करके पुरुष या महिला पार्टनर (सहजीवी) को नियंत्रण में रखना होता है।

ऑस्ट्रेलिया में घरेलू एवं पारिवारिक हिंसा का सामना करने वाला कोई भी व्यक्ति सहायता सेवाओं से मदद प्राप्त कर सकता है।

भले ही आपका वीज़ा या आपका इमीग्रेशन स्टेटस (आप्रवास स्थिति) कुछ भी हो आप फिर भी सहायता प्राप्त कर सकते/सकती हैं।

भले ही आपका रिश्ता समाप्त हो चुका हो या अभी भी जारी हो – आप फिर भी मदद प्राप्त कर सकते/सकती हैं।

**1800 RESPECT** ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय यौन उत्पीड़न, पारिवारिक एवं घरेलू हिंसा परामर्श सेवा (Australia's National Sexual Assault, Family and Domestic Violence Counselling service) है। यह निःशुल्क व गोपनीय टेलीफोन व ऑनलाइन परामर्श और सूचना प्रदान करती है। परामर्शदाता आपकी बात सुनेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे और वे आपके स्थानीय क्षेत्र में दूसरी सहायता सेवाओं तक आपको रेफर कर सकते/सकती हैं।

**1800 737 732** पर फोन करें या 1800 RESPECT की वेबसाइट [www.1800RESPECT.org.au](http://www.1800RESPECT.org.au) पर जाएँ।

क्या आपको किसी दुभाषिए की ज़रूरत है?

अनुवाद एवं दुभाषिया सेवा (Translating and Interpreting Service - TIS) को **131 450** पर निःशुल्क फोन करें। TIS अन्य सेवाओं के साथ बातचीत करने में आपकी मदद कर सकती है। TIS सलाह-मशवरा सेवा प्रदान नहीं करती है।

पारिवारिक हिंसा के प्रावधानों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए:

आप्रवास एवं सीमा सुरक्षा विभाग (Department of Immigration and Border Protection) की वेबसाइट [www.border.gov.au](http://www.border.gov.au) पर सूचना-पत्र 38 के लिंक का अनुसरण करें।